संख्या ——/XXIV(6)/2011

प्रेषक,

डॉ0 निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः 19 दिसम्बर, 2011

विषय आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनागत पक्ष में विश्वविद्यालय को आबंटित भूमि पर प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवनों को प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रकियात्मक कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : यूओयू/आर–1/एबी/275/2011 दिनांक 08,नवम्बर 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को आंबटित भूमि पर प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवनों को प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रकियात्मक कार्यो हेतु परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 भीमताल इकाई नैनीताल द्वारा प्रस्तुत आंगणन ₹ 72.08 लाख जिसका परीक्षणोपरांत टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत ₹ 64.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 मे संस्तुत आंगणन ₹ 64.60 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायं।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/xiv-219(2006) दिनांक 30,मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(10) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2— निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्डे द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाय एवं विशेष रूप से किये जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आगणन में की जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

3— स्वीकृत की गयी धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी । उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेष संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28,जुलाई 2009 में विहित शर्तो के साथ—साथ शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

4— व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0 एस0एण्ड डी0 की दर तथा समय—समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

5— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

6— निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15,दिसम्बर—2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रकरणाधीन कार्य हेतु, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 571/XXVII(1)/2010 दिनांकः 19.10.2010 के आलोक में द्वितीय चरण के प्राथमिक कार्यों के लिये समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—07—राज्य मुक्त विश्वविद्यालय—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 304 (P)/XXVII(3)/2011—12 दिनांकः 07 दिसम्बर—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 225/XXIV(6)/2011 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी ।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 भीमताल इकाई नैनीताल को टीएसी द्वारा आंगणन की परीक्षित प्रतियों सहित ।
8. वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।